(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 12/2023-संघ राज्य कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 19 अक्तूबर, 2023

सा.का.नि. ..... (अ)- केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उप धारा (5), धारा 16 की उप धारा (1) और धारा 148 के साथ पठित संघ राज्य माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 7 की उप धारा (1), (3) और (4), धारा 8 की उप धारा (1) और धारा 21 के उपवाक्य (iv), (v) और (xxvii) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर और इस बात से संतुष्ट होते हुए ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 11/2017-संघ राज्य कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 702 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना मेः-

(क) तालिका में,

(i) क्रम संख्या 8 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (vi) में, कॉलम (5) में निर्धारित शर्त के बाद, कॉलम (4) में निर्धारित 2.5 प्रतिशत की दर के समक्ष, निम्नलिखित शर्त अंतः स्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"बशर्ते कि जहां एक ही प्रकार के व्यापार की इनपुट सेवा का आपूर्तिकर्ता 2.5% से अधिक दर पर संघ राज्य कर वसूलता है, उसी प्रकार के व्यापार की इनपुट सेवा पर देय/भुगतान योग्य कर जो की 2.5% की दर से अधिक है , उस इनपुट कर का क्रेडिट नहीं लिया जाएगा।

उदाहरण: 'क' ने मोटर कैब में नई दिल्ली से जयपुर तक परिवहन के लिए 'ख' को 1000 रुपये में रखता है। 'ख', उक्त सेवा की आपूर्ति के लिए, 'ग' से चालक के साथ 800 रुपये में एक मोटर कैब किराए पर लेता है। 'ग' 6% (48 रुपये) की दर से 'ख' से संघ राज्य कर लेता है । यदि 'ख' 2.5% की दर से 'क' से संघ राज्य कर लेता है, तो वह 'ग' द्वारा एक ही प्रकार के व्यापार की आपूर्ति में इनपुट सेवा पर केवल 20 रुपये (800 रु. का 2.5%) की सीमा तक इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का हकदार होगा न कि 48 रु.";

(ii) क्रम संख्या 10 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (i) में, कॉलम (5) में निर्धारित शर्त के बाद, कॉलम (4) में निर्धारित 2.5 प्रतिशत की दर के समक्ष, निम्नलिखित शर्त अंतः स्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"बशर्ते कि जहां एक ही प्रकार के व्यापार की इनपुट सेवा का आपूर्तिकर्ता 2.5% से अधिक दर पर संघ राज्य कर वसूलता है, उसी प्रकार के व्यापार की इनपुट सेवा पर देय/भुगतान योग्य कर जो की 2.5% की दर से अधिक है , उस इनपुट कर का क्रेडिट नहीं लिया जाएगा।

उदाहरण: 'क' ने मोटर कैब में नई दिल्ली से जयपुर तक परिवहन के लिए 'ख' को 1000 रुपये में रखता है। 'ख', उक्त सेवा की आपूर्ति के लिए, 'ग' से चालक के साथ 800 रुपये में एक मोटर कैब किराए पर लेता है। 'ग' 6% (48 रुपये) की दर से 'ख' से संघ राज्य कर लेता है । यदि 'ख' 2.5% की दर से 'क' से संघ राज्य कर लेता है, तो वह 'ग' द्वारा एक ही प्रकार के व्यापार की आपूर्त आपूर्ति में इनपुट सेवा पर केवल 20 रुपये (800 रु. का 2.5%) की सीमा तक इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का हकदार होगा न कि 48 रु.";

(iii) क्रम संख्या 34 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (iv) में, शब्दों "टोटलिसेटर या या ऐसे क्लब में बुकमेकर की अनुज्ञप्ति" के स्थान पर, शब्द " किसी क्लब में बुकमेकर की अनुज्ञप्ति द्वारा " प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iv) क्रम संख्या 34 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (v) और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(ख) अनुबंध में: सेवाओं के वर्गीकरण की योजना,

(i) कॉलम (1) में क्रम संख्या 696 और 698 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 20 अक्टूबर, 2023 से लागू होगी।

[एफ.सं. सीबीआईसी-190354/195/2023-टीओ (टीआरयू-II)-सीबीईसी

(राजीव रंजन)
अवर सचिव, भारत सरकार

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 11/2017-संघ राज्य कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि.

702 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 06/2023-संघ राज्य कर (दर), दिनांक 26 जुलाई, 2022, सा.का.नि. 539 (अ), दिनांक 26 जुलाई, 2022 के तहत सरकारी राजपत्र में प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया है।